साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 8 (प्रति बुधवार),इन्दौर, 11 अक्टूबर 2023 से 17 अक्टूबर 2023 पेज : ७ कीमत : 3 रुपये

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जताई है आशंका

नई दिल्ली । दुनिया के तापमान में अगर दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो वह करोड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। खासकर सिंधु नदी घाटी इलाके में रहने वाले भारत-पाकिस्तान के करोड़ों लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक नई रिसर्च में यह दावा किया गया है। यह रिसर्च प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुई है।

रिसर्च में बताया गया है कि वैश्विक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से उच्च आर्द्रता के साथ गर्म हवाएं चलेंगी, जो कि मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक होंगी। दरअसल सामान्य तौर पर इंसानी शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा रखता है लेकिन अगर आर्द्रता ज्यादा होगी और गर्म हवाएं या लू चलेगी तो पसीना जल्दी नहीं सूखेगा, जिसके कारण हीट स्ट्रोक और दिल का दौरा पडने़ का खतरा बढ़ेगा। रिसर्च के अनुसार, उत्तरी भारत, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी चीन और अफ्रीका में सब-सहारा इलाके में ज्यादा उच्च आर्द्रता और लू चलेंगी। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि दुनिया के इस इलाके में निम्न और मध्यम आयवर्ग वाले लोग अधिकता में रहते हैं। इन लोगों के एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं ना होने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते भी ये लोग जानलेवा गर्मी से ज्यादा प्रभावित होंगे। उद्योग क्रांति के बाद से दुनिया का तापमान पहले ही 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान पश्चिमी देशों द्वारा उत्सर्जित की गई कार्बन डाइ ऑक्साइड ने दिया है। यही वजह है कि साल 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ तो उस समझौते में दुनिया के तापमान को उद्योग क्रांति से पूर्व के तापमान की तुलना में डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी पर रोकना था। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने आशंका जताई है कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आईपीसीसी ने वैश्विक उत्सर्जन में कटौती करने का सुझाव दिया है। वैश्विक एजेंसियों के मुताबिक बीते चार महीने पहले ही सबसे ज्यादा गर्म महीने रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही साल 2023 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2023

भोपाल राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2023 के अंतर्गत 5 अक्टूबर शत 5.00 बजे पक्षी अवलोकन एवं जैवविविधता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजीव गांधी महाविद्यालय सुल्तानिया उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय एवं महात्मागांधी महाविद्यालय के कुल 64 प्रतिभागियों ने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के दर्शन किये जिनमें प्रमुख है कोयल, पर्पल हेरॉन, में हेरान नाईट हेरान ब्लैक रेड स्टार्ट पर्पल सनबर्ड, कोगन किंगफिशर एवं स्पॉटेड जय आदि को देखकर प्रतिभागी उत्साहित हो उठे। स्रोत व्यक्ति के रूप में डॉ. सुरेन्द्र तिवारी डॉ. सुदेश वाघमारे, डॉ. संगीता राजगीर एवं मो. खालिक उपस्थित थे। इस अवसर पर संचालक बन विहार श्रीमती पदमप्रिया बालकृष्णन भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन सहायक संचालक चन विहार श्री एस.के. सिन्हा द्वारा किया गया।

चिकित्सक आत्मीय भाव से मरीजों का इलाज करें- श्री मंगुभाई पटेल

भोपाल (एजेंसी)राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मरीजों के इलाज के दौरान चिकित्सक आत्मीय भाव रखें। मरीजों के स्वस्थ होने में चिकित्सकों का मधुर व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सकों को मरीजों का इलाज अपने परिजनों की तरह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोगियों के स्वास्थ्य लाभ और उनकी बेहतरी के लिए चिकित्सकों के आचरण में सहानुभूति और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। बी.एम.एच.आर.सी. के चिकित्सक इस दिशा में संवेदनशील पहल करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा का आदर्श प्रस्तुत करे।

राज्यपाल श्री पटेल आज भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र की आकस्मिक चिकित्सा इकाई और नवनिर्मित गांधी वीथिका के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जागरूकता अभियान का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ उप महानिदेशक आई.सी.एम.आर. (एम्स दिल्ली) श्रीमती मनीषा सक्सेना मौजूद थीं। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि जीवन संकट के दौरान समय पर मिलने वाला इलाज जीवनदान होता है। जरूरी है कि चिकित्सा केंद्र में जो भी संकटग्रस्त व्यक्ति आए, वह जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। मानवसेवा में आज तकनीक का योगदान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में रोगियों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक चिकित्सा ईकाई में रेड, येलो और ग्रीन जोन के द्वारा रोगियों की गम्भीरता के आधार चिन्हित कर उपचार की व्यवस्था करना सराहनीय नवाचार है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस नई आकस्मिक चिकित्सा यूनिट में मरीजों को बेहतर तात्कालिक उपचार संभव होगा। भोपाल के बाहर और दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को बेहतर उपचार सुविधाएं मिलेंगी। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि बी.एम.एच.आर.सी. का सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन एवं जागरूकता अभियान सराहनीय प्रयास है। जागरूकता के प्रयास चिकित्सालय की सीमाओं के बाहर भी किये जाये। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग में सिकल सेल रोग की जागरूकता और उन्मूलन के तरीकों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। प्रचार प्रसार के लिए सभी अवसरों और मंच का उपयोग किया जाना चाहिए। शादी के पूर्व वर-वधु अपने जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का मिलान अवश्य करें ताकि भविष्य में सिकल सेल रोग का खतरा नहीं रहे। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में शामिल सिकल सेल एनीमिया पीड़ित बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की और आत्मीय संवाद किया।

गांधी वीथिका स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएगी

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि स्वच्छता चिकित्सालय का आधार होती है। परिसर में अस्पताल प्रबंधन द्वारा साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने, गांधी वीथिका का निर्माण सराहनीय है। उन्होंने वीथिका में गांधी साहित्य, उनके चित्रों की उपलब्धता और मरीजों के रिश्तेदारों के बैठने की व्यवस्था का अवलोकन किया। श्री पटेल ने कहा कि वीथिका रोगियों के परिजनों को गांधीजी के दर्शन और विचारों से प्रेरित करेगी। रोगियों के परिजनों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और आग्रही बनाएगी। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम का प्रारम्भ दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में उनका पुष्पगुच्छ और शाल-श्रीफल से स्वागत और स्मृतिचिन्ह से अभिनंदन किया गया। श्री पटेल बी.एम.एच.आर.सी. परिसर में भोपाल गैस त्रासदी के दिवंगतों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। प्रभारी निदेशक बी.एम.एच.आर.सी. डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने स्वागत उद्बोधन दिया। प्राध्यापक, निश्चेतना विभाग, बी.एम.एच.आर.सी. डॉ. सारिका कटियार ने आभार व्यक्त किया।

स्वैच्छिक कार्बन बाजार से आमजन को लाभ नहीं

स्वैच्छिक कार्बन बाजार से लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। बल्कि यह धरती पर अधिक उत्सर्जन का कारण बन सकता है। यह बात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ की छह माह की गहन जांच के बाद सामाने आया है। निष्कर्ष कहता है कि हमारी जलवायु-जोखिम वाली दुनिया को रचनात्मक कार्बन लेखांकन के इस व्यवसाय की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि दुनिया इस साल के अंत में दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-28) में कार्बन बाजार को विनियमित करने के मुद्दे पर चर्चा का इंतजार कर रही है, ऐसे समय में सीएसई ने अपनी इस नई जांच इस बात का खुलासा कर दिया है कि स्वैक्षिक कार्बन बाजार से आमजन को लाभ नहीं पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री को एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में देखा जाता है। इसमें उन परियोजनाओं को क्रेडिट दिया जाता है जो ग्रीनहाउस गैसों को कम कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में अभी तक कोई आधिकारिक कार्बन बाजार नहीं है। वास्तव में इस पर दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 28वें सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। ध्यान रहे कि आधिकारिक तंत्र के अभाव में स्वैच्छिक कार्बन बाजार फल-फूल रहा है। यह खामियों से घिरा वह बाजार है जिस पर सीएसई और डाउन टू अर्थ ने पिछले छह महीने तक जांच की और उसका विश्लेषण कर उसकी सच्चाई जानी। जांच रिपोर्ट जारी करते हुए सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, कार्बन बाजार में दक्षिण गोलार्ध के देशों के लिए अरबों डॉलर हासिल करने की क्षमता है, जिन्हें कम कार्बन ऊर्जा प्रणाली में सामाजिकता को सुनिश्चित करने के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन यहां सवाल है कि क्या आज का स्वैच्छिक कार्बन बाजार, लोगों और हमारे ग्रह के लिए काम कर रहा है? हमारी जांच से पता चलता है कि ऐसा नहीं है।

उदयपुर में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़क की धूल- सीएसई

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में वायु प्रदूषण के प्रमुख सड़क की धूल है। यह बात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के एक विस्तृत आंकलन में निकलकर आई है। इसके हल के लिए सीएसई और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) जिले की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।

ध्यान रहे कि खनिज सम्पदा से समृद्ध जिला उदयपुर में कई खनिज और पत्थर आधारित उद्योग हैं, जिनमें से कई वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। दरअसल, अपने उच्च वायु प्रदूषण स्तर के कारण, उदयपुर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) द्वारा गैर-प्राप्ति शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सीएसई के एक आकलन ने इन उद्योगों से होने वाले फ्यूजिटिव उत्सर्जन और सड़क की धूल को जिले में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों के रूप में चिन्हित किया है। हालांकि सीएसई ने उदयपुर की हवा को साफ करने के लिए एक रोडमैप की भी पेशकश की है। इस संबंध में रोडमैप को तैयार करने के लिए सीएसई और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) द्वारा संयुक्त रूप से आज यहां इम्प्रूविंग एनवायर्नमेंटल परफॉरमेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन उदयपुर नाम के शीर्षक से एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में रोडमैप का फोकस उद्योगों के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर विचार किया गया। आरएसपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार उदयपुर में लगभग 1,207 उद्योग हैं, जिनमें से 885 की पहचान वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के रूप में की गई है, वहीं 446 ऐसे उद्योग हैं जो फ्यूजिटिव उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं और 439 ईंधन खपत वाले उद्योग हैं। 446 फ्यूजिटिव उत्सर्जन वाले उद्योगों में से 366 खनिज पीसने वाली इकाइयां हैं, जबकि 80 स्टोन क्रशर संयंत्र हैं। सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण विभाग के कार्यक्रम निदेशक, निवित यादव कहते हैं, ये उद्योग भारी मात्रा में धूल और उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं और उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों से निकलने वाली धूल अक्सर आस-पास के आवासीय क्षेत्रों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही है, इसलिए इस क्षेत्र पर प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यशाला में बोलते हुए आरएसपीसीबी, उदयपुर के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना ने कहा, आरएसपीसीबी और उद्योगों को जमीनी स्तर पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केवल वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है... हमें प्रदूषण नियंत्रण के प्रति एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करना होगा। यादव बताते हैं कि कि 2021 में, सीएसई ने राजस्थान के प्रमुख जिलों में औद्योगिक वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया था। उन्होंने कि हमने पाया कि उदयपुर में उद्योग बड़े पैमाने पर कोयला, लकड़ी या तरल ईंधन का उपयोग कर रहे थे। इन ईंधन खपत करने वाले उद्योगों से कणिकीय पदार्थ प्रदूषण भार 148 टन प्रति वर्ष था, सल्फर डाइऑक्साइड भार 200 टन प्रति वर्ष था, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड भार 162 टन प्रति वर्ष था। जयपुर और अलवर जैसे अन्य गैर-प्राप्ति शहरों की तुलना में उदयपुर में प्रदूषण का स्तर कम था। हालांकि, निकट भविष्य में उदयपुर में उद्योगों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि शहर में उद्योगों को स्वच्छ ईंधन के प्रयोग की और अग्रसर होना चाहिए।

आरएसपीसीबी के अनुसार, तब से स्थिति में सुधार हुआ है। सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण विभाग के कार्यक्रम प्रबंधक पार्थ कुमार कहते हैं कि बायोमास अपनाने को लेकर आरएसपीसीबी द्वारा चलाये गए अभियान के बाद, स्थिति में सुधार हुआ है, कुछ उद्योग बायोमास और अन्य स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने लगे हैं। भविष्य में सभी उद्योगों को उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना चाहिए। सीएसई की औद्योगिक प्रदूषण इकाई की उप कार्यक्रम प्रबंधक श्रेया वर्मा कहती हैं कि उद्योगों के सतत विकास के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि उद्योग पहल करें और व्यक्तिगत स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाएं।

10 लाख के जुर्माने के खिलाफ अपील एनजीटी ने की खारिज

नोएडा। बिना अनुमति बोरवेल कर भूगर्भ जल निकालने के मामले में गाजियाबाद के एक होटल पर 10 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सही माना है। एनजीटी का कहना है कि होटल केवल 10 कमरे का है, पर यह नियमों में छूट मिल जाने की वजह नहीं हो सकती है, अगर वह छूट की श्रेणी में नहीं आता है।

12 जून 2023 को गाजियाबाद के कल्लूपुरा मल्हीवारा चौक स्थित सिटी लॉज होटल पर एनजीटी ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ एनजीटी में होटल मालिक ने अपील की थी। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉ. ए सेंथिल वेल के आदेश के मुताबिक होटल मालिक ने भूगर्भ जल दोहन के लिए अथॉरिटी से जरूरी एनओसी नहीं ली। ऐसे में अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण कर कार्रवाई की। एनजीटी का कहना है कि वादी का कहना है कि वह वह केवल 10 रूम का होटल चलाता है, पर इस आधार पर वह नियमों के पालन कराने से छूट नहीं पा सकता है।

जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह के दोहरे संकट को झेलती बच्चियां, फिर भी योजनाओं से हैं नदारद

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जारी नई रिपोर्ट में सेव द चिल्ड्रन ने चेताया है कि 2050 तक करीब चार करोड़ बच्चियों को बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन के दोहरी संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद विडम्बना देखिए की दुनिया में केवल दो फीसदी से भी कम राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में लड़कियों की जरूरतों और साझेदारी पर ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 90 लाख बच्चियों को जलवायु से जुड़ी आपदाओं और बाल विवाह के गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है।

विश्लेषण से पता चला है कि अब से 2030 के बीच, करीब 60 फीसदी यानी 93.1 करोड़ बच्चियां कम से कम एक चरम मौसमी घटना जैसे बाढ़, सूखा या लू का सामना करने को मजबूर होंगी। वहीं 2021 में कम आय वाले देशों में रहने वाली करीब 40 लाख लड़कियां इन जलवायु सम्बन्धी घटनाओं के चलते अपनी शिक्षा पूरी करने से वंचित रह गई थी। इतना ही नहीं दुनिया भर में रहने वाले करीब 4.9 करोड़ लोग, जिनमें बच्चियां भी शामिल हैं, भुखमरी की कगार पर हैं।

ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2023ः गर्ल्स एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म नामक इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब दो-तिहाई बाल विवाह उन देशों में होते हैं जहां जलवायु परिवर्तन का जोखिम औसत से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में करीब 2.99 करोड़ किशोर बच्चियां उन 10 देशों में रह रही हैं, जो बाल विवाह और जलवायु से जुड़े जोखिमों के लिए हॉटस्पॉट हैं। इन देशों में लड़कियों के कम उम्र में विवाह होने के साथ-साथ जलवायु सम्बन्धी खतरों की चपेट में आने की आशंका सबसे अधिक है। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं उनके मुताबिक अगले 27 वर्षों में इन हॉस्पॉट में बच्चियों का आंकड़ा करीब 33 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 3.99 करोड़ पर पहुंच जाएगा। इन देशों में बांग्लादेश, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, गिनी, मलावी, माली, मोजांबिक, नाइजर और दक्षिण सूडान शामिल हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इन देशों में युवाओं की आबादी तेजी से बढ़ रही है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह के बीच गहरा सम्बन्ध है। यह बात कई बार साबित भी हो चुकी है। ऐसा ही एक उदाहरण इथियोपिया में सामने आया था जब 2021 में पड़े भीषण सूखे और खाद्य संकट के बाद बाल विवाह के मामलों में 119 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी तरह बांग्लादेश को लेकर 2020 में किए एक अध्ययन से पता चला है कि भीषण गर्मी के बाद बांग्लादेश में 11 से 14 वर्ष की बच्चियों में बाल विवाह की आशंका दोगुनी देखी गई थी। 2022 में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जिसने 6.4 लाख बच्चियों पर हिंसा और बाल विवाह के जोखिम को बढ़ा दिया था। इसी तरह हाल ही में जिम्बाब्वे में भी इस तरह की रिपोर्टें सामने आई हैं कि वहां दो जून की रोटी की चाह में बच्चियां खुद अपने विवाह की पहल कर रही हैं।

बांग्लादेश-अफ्रीका में बेहद चिंताजनक है स्थिति

जलवायु संकट और बाल विवाह ने बांग्लादेश और उप-सहारा अफ्रीका में लड़कियों के अधिकारों के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। यह वो जगह हैं जहां इससे प्रभावित शीर्ष 10 देश स्थित हैं। इनमें भी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और गिनी सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करने को मबजूर हैं। ये देश न केवल बेहद खतरनाक बल्कि बार-बार चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं कई मामलों में यह देश संघर्ष, उच्च गरीबी दर, लैंगिक असमानता और भूख जैसे संकटों से भी जूझ रहे हैं।

सिएरा लियोन में रहने वाली केपेमेह जब 12 साल की थी तभी एक व्यक्ति ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। चूंकि उनके माता-पिता जोकि पेशे से किसान हैं उस वक्ते जलवायु आपदाओं से जूझ रहे थे। उनके मुताबिक वो व्यक्ति उनके माता-पिता के पास आया और उनके सामने शादी की इच्छा व्यक्त की, आर्थिक दबाव के चलते वो इस विवाह के लिए सहमत हो गए। लेकिन केपेमेह अथक प्रयासों से इस विवाह को टालने में कामयाब रही। हालांकि दुनिया में करोड़ों बच्चियां केपेमेह जितनी भाग्यशाली नहीं होती। उन्हें पारिवारिक दबाव और स्थिति को देखते हुए विवाह के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब केपेमेह अपने समुदाय में भी लड़कियों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। केपेमेह का कहना है कि, बाल विवाह गरीबी के कारण होते हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उनका कहना है कि जलवायु बदल गई है। हमारे माता-पिता कृषि पर निर्भर हैं। जब बारिश होनी चाहिए तब वो नहीं होती। वहीं शुष्क और बरसात दोनों मौसमों में बारिश होती है, तब भी जब उसे नहीं होना चाहिए। इसकी पुष्टि अन्य शोध में भी हुई है। रिसर्च से पता चला है कि बारिश में आया दस फीसदी का बदलाव बाल विवाह के मामलों में एक फीसदी की वृद्धि से जुड़ा है। बाल विवाह के मामलों में संघर्ष की भी बड़ी भूमिका है। संघर्ष से होने वाली मौतों में हर दस गुना वृद्धि के साथ बाल विवाह के प्रसार में 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द शादी होने के लड़कियों पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। शादी के बाद उनकी शिक्षा पूरी होगी इसके बेहद कम संभावनाएं रह जाती हैं। इससे उनके लिए आर्थिक चुनौतियां भी पैदा हो जाती हैं। अक्सर यह बच्चियां समाज से अलग-थलग पड़ जाती हैं। इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। साथ ही उन्हें शारीरिक और यौन हिंसा जैसे खतरों का भी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि बाल विवाह का शिकार इन बच्चियों को गर्भावस्था और प्रसव सम्बन्धी गंभीर जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखा जाए तो इस उम्र में उनका शरीर इसके लिए तैयार ही नहीं होता। देखा जाए तो यह सीधे तौर पर मानव अधिकारों का हनन है।

दुनिया में बाल विवाह की समस्या कितनी विकट है इसका अंदाजा यूएनएफपीए द्वारा जारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 1.2 करोड़ बच्चियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुरीति है, जो सदियों से मानव समाज का हिस्सा रही है। भले ही पिछले कुछ दशकों में इस तरह के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन सच यही है कि जलवायु में आता बदलाव और इस समस्या को कहीं ज्यादा प्रभावित कर रहा है। यूनिसेफ ने भी अपनी रिपोर्ट इस एन एन्ड टू चाइल्ड मैरिज विदइन रीच में इस बात की पुष्टि की है कि जो मौजूदा हालात हैं, उन्हें देखते हुए इस कुरीति को पूरी तरह जड़ से खत्म करने में अभी और 300 वर्ष लगेंगें। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 64 करोड़ महिलाओं और युवतियां का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो गया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008